

कबाड़नामा

अंक : 5

दिल्ली के कूड़ा चूनने वालों एवं कबाड़ियों की पत्रिका

माह : अगस्त-सितम्बर 2006

गाँव का जर्मींदार और दिल्ली की सरकार

गाँव में चाय की मेरी दुकान थी, साथ में मामूली सी खेती थी। सुख से हम लोग जी रहे थे। लेकिन किसी कारण से गाँव के जर्मींदार से मेरे पिता नाराज हो गए। उनके अत्याचार से मेरे पिता पागल हो गए। हम लोग गाँव छोड़कर भाग गए। बम्बई गए, फिर अजमेर, हमें भीख माँगना पड़ा। अंत में दिल्ली आए। यहाँ आकर कबाड़ के काम से जुड़ गये। सभी परेशानियों के बाबूजूद भी काफी कुछ किया। परिवार फिर से बस गया। बच्चे को पाला-पोसा, उनकी शादी-विवाह की।

7 साल से चिंतन से जुड़ा हूँ। इससे काफी सहारा मिला। हमें काम के तरीके, पुलिस से सुरक्षा सभी कुछ इससे मिला।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार हमारी यह खुशी हमसे छीना चाहती है। अब हमें फिर वही गाँव का जर्मींदार याद आता है जिसे हम लोग भूल गए थे। क्योंकि सरकार भी तो वैसा ही काम कर रही है।

हमें लगता है यह सरकार भी गाँव के जर्मींदार की तरह है जो सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करना जानती है।

मो. नूर अफसर



मो. नूर अफसर
निजायदीन

महाधरना



सिलिंग के विरोध में दिल्ली शहर के सभी क्षेत्रों से इकट्ठा होकर दिनांक 19.9.2006 को 15,000 से अधिक कबाड़ी भाइयों एवं बहनों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया। चिंतन द्वारा आयोजित इस धरने में दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में कबाड़ी भाई एकत्र हुए और अपनी एकता का परिचय दिया। धरने के अंत में कबाड़ी साथियों का एक प्रतिनिधि मंडल, जयपाल रेड्डी (मंत्री भारत सरकार) से मिलने गया और अपनी माँगें प्रस्तुत की। हमारी मुख्य माँगें हैं कि कबाड़ी पेशे को आवश्यक सेवा के रूप में मान्यता मिलें, हमें व्यापारियों की श्रेणी में नहीं रखा जाए, क्योंकि हम शहर की गंदगी की सफाई और कूड़े की छाटाई का काम करते हैं। हम कूड़ा प्रबन्धन नियम सन् 2000 का पालन करते हैं, अतः हमारे काम को मान्यता दी जाए।

हमें सरकार काम करने के लिए उचित स्थान दें न कि व्यापारी करार देकर कूड़े की छाटाई की जगहों को सील किया जाए, इत्यादि।

आप हमें निम्न पते पर अपने सुझाव एवं लेख भेज सकते हैं :

चिंतन, सी-14, दुसरी मंजिल, लाजपत नगर, फेज-3, नई दिल्ली-110024 फोन : 011-46574171/72/73, फैक्स : 011-46574174

गप्फार की कहानी


मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनौं। उन्होंने दरियांगंज के एक हॉस्टल में मुझे रख दिया। मैं 3 साल तक वहाँ रहा उसके बाद भाई कहने लगे कि अगर कमाएँगे नहीं तो खाएँगे कहाँ से, घर की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन माँ कहती थी कि पढ़ाई जरूरी है उन्होंने जबरदस्ती फिर दाखिल करवा दिया। लेकिन स्कूल फिर छोड़ा पड़ा, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं होते थे। मैंने भाई के साथ ऑटो चलाना शुरू कर दिया। फिर भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा था तो कूड़े का काम शुरू कर दिया, इसमें संघर्ष करके धीरे-धीरे एक गोदाम भी बना लिया। लेकिन इतने संघर्ष के बाद अब सीलिंग शुरू हो गई है। लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और हम फिर भूखों मरेंगे। दिल्ली से भागना पड़ेगा। हम करें तो क्या करें?



गप्फार


गप्फार,
कोड़ी कालोनी, नंदनगारी

चलों नाटक दिखाए



अब हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को कुड़े के बारे में बताते हैं। हमने एक नाटक बनाया है "कचरा मुहब्बत वाला"। हम बताते हैं क्योंकि हमने सीखा हैं

- कूड़े को कैसे संभालना है। हम नाटक में एक कबाड़ी की जिंदगी भी दिखाते हैं।



विधवा-बेवा कहाँ जाए?

15-16 वर्ष पहले मेरे शौहर की मृत्यु हो गई। 5 बच्चे थे। कोहियों की कालोनी में काम करके बच्चों का पेट भरती थी। भीख भी माँगनी पड़ी। खुद भूखा भी रहना पड़ा।

फिर कबाड़ी चुनने लगी। इसकी आमदनी से बच्चों को पालकर बड़ा किया।

अब गोदाम कर लिया है बच्चे बड़े हो गए हैं काम में साथ देते हैं। बच्चों का परिवार बस गया है। लगता था बुढ़ापे की जिंदगी सुख से कटेगी, लेकिन सीलिंग का भूत आ गया। अब क्या होगा, हम कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? हाथों बच्चे तो और किसी काम को करना जानते ही नहीं क्या हमारी ये सरकार बुढ़ापे में हमसे फिर भीख माँगवाएंगी।

शहजादी बेगम,
कोड़ी कालोनी, नंदनगारी



पुलिस का हाथ कबाड़ी के साथ

